पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण की वसूली

2236. **श्री राम जेठमलानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1997 के दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में "पी एन बी फाइंडिंग डिफीकल्ट टू रिकवर डैट वाया लीगल रूट" शीर्षक को अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पंजाब नैशनल बैंक ऋण वसूली अधिकरण (डैट रिकवरी ट्रिब्यूनल) के माध्यम से चूककर्ताओं से अपना ऋण वसूल करने में असफल हो रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऋणों की वसूली से संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु किसी विशेष कार्यवाही पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार मद पंजाब नैशनल बैंक सहित बैंकों के मामलों के निपटान में तेजी लाने हेतु जयपुर में ऋण वसूली अधिकरण (डी आर टी) को सुदृढ़ करने से संबंधित है।

(ग) और (घ) जयपुर के ऋण वसूली अधिकरण (डी आर टी) का क्षेत्राधिकार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मामलों का निपटान करना है। इन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से मामलों की अत्यधिक संख्या के बावजूद, डी आर टी, जयपुर, मामलों को तेजी से निपटाने का प्रयास कर रहा है। अधिकरण, की स्थापना से यह लाभ हुआ है कि अधिकतर चूककर्ताओं ने अपनी देय राशियों की वापसी अदायगी के लिए बैंकों से सम्पर्क प्रारम्भ कर दिया है। सुधार की संभावना सदैव रहती है और डी०आर टी के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु और डी आर टी को सुदृढ़ करने हेतु, जब कभी आवश्यक होगा, उपयुक्त उपाए किए जाएंगे। ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन, नियम, 1997 द्वारा, प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।

दसवें वित्त आयोग द्वारा आयोग राजस्व घाटे के संबंध में की गई सिफारिशें

2237. **श्री गोविन्दराम मिरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दसवें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश को आयोजना राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश नहीं की है ;

(ख) क्या इससे राज्य को आयोजना के अंतर्गत राजस्व व्यय की व्यवस्था करने में कठिनाई होगी और इससे आयोजना हेतु संसाधनों में भी कमी हो जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य की विशेष समस्या हेतु आयोजना के वित्त पोषण के लिए और इस राज्य को उक्त अनुदान न दिए जाने के कारण उत्पन्न कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने पर पुनर्विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) दसवें वित्त आयोग ने राज्यों को आयोजना राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करने की सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) पिछली अवधि 1990–95 के लिए नौवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत 7843 करोड़ रुपए की तुलना में वर्तमान अवधि 1995–2000 के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मध्य प्रदेश को कुल अंतरण के लिए 18094 करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है। दसवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राज्य के कुल अंतरण में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

आयोजना के वित्त पोषण के लिए संसाधनों की आवश्यकता का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके किया जाता है। वर्ष 1997–98 के लिए मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना, जिसे योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, पूरी तरह से वित्त पोषित है। योजना आयोग द्वारा आबंटित की गई धनराशि के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।